न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 162/2019

1. महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड, पता– साधना हाउस, द्वितीय फ्लोर, 570 पी.बी.मार्ग, वर्ली, मुम्बई। आफिस पता – महिन्द्रा टॉवर्स, पी.के. कुर्ने चौक, वर्ली, मुम्बई। शाखा कार्यालय पता– 46, 47 श्रीनाथ टॉवर, प्रथम तल, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामेश्वर प्रसाद बुनकर पुत्र स्व0 श्री रामनाथ बुनकर
2. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री रामेश्वर प्रसाद बुनकर
3. श्री लल्लू प्रसाद बुनकर पुत्र स्व0 श्री रामनाथ बुनकर
   निवासी–237, कुम्हार पाडा, रामगढ पचवारा, विवेक विद्या मंदिर के पास, तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. श्री सुरेश कुमार बुनकर पुत्र स्व0 श्री रामनाथ बुनकर निवासी–105 कुम्हार पाडा पाडा, रामगढ पचवारा, विवेक विद्या मंदिर के पास, तहसील लालसोट जिला दौसा।
5. श्री भगवान सहाय मीणा पुत्र श्री मूलीराम मीणा निवासी रामगढ पचवारा गुलार वाली ढाणी, सरकारी स्कूल के पास तहसील लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री लोकेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u>

दिनांक: 26.8..2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री रामेश्वर प्रसाद बुनकर पुत्र स्व0 श्री रामनाथ बुनकर निवासी–237, कुम्हार पाडा, रामगढ पचवारा, विवेक विद्या मंदिर के पास, तहसील लालसोट जिला दौसा व अन्य को 3,00,,000/–(रूपये तीन लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति श्री रामेश्वर प्रसाद बुनकर, श्री लल्लू प्रसाद बुनकर एवं श्री सुरेश कुमार बुनकर पुत्रान स्व0 श्री रामनाथ उर्फ कुंभा की सम्पत्ति आबादी पट्टा सं0 05 मिसल सं0 67/02.09.1978 दिनांकित 26.11.1978 क्षेत्रफल 206.50 वर्गगज ग्राम रामगढ पचवारा ग्राम पंचायत रामगढ पचवारा पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official